



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 84 राँची, गुरुवार,

3 मार्च, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

16 फरवरी, 2022

संख्या- 4/स्था.-पद.-02-02/2020 का.- 879-श्री संजय सिन्हा, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक- 616/03, गृह जिला- नालन्दा) उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, देवघर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गोड्डा के पद को अपर सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या- 4/स्था.-पद.-02-02/2020 का.- 880-श्री प्रदीप प्रसाद, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक- 664/03, गृह जिला- देवघर) अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पूर्वी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या- 4/स्था.-पद.-02-02/2020 का.- 881--श्री राजेश कुमार राय, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक- 700/03, गृह जिला- हजारीबाग) परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, दुमका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या- 4/स्था.-पद.-02-02/2020 का.- 882--श्री शाहिद अख्तर, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक- 712ए/03, गृह जिला- पूर्णिया) परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, पाकुड़ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
